मॉड्यूल 4: किशोर न्याय बोर्ड

सत्र 2: कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों से संबंधित प्रक्रिया

अवधि: 3:42 मिनट

अब हम एक गतिविधि के द्वारा यह जानेंगे कि किशोर न्याय बोर्ड में मामला दाखिल होने के बाद क्या होता है। इससे संबंधित प्रक्रिया धारा 13, 14, 17, 18 और नियम 9, 10 तथा 11 द्वारा निर्देशित है।

बच्चों के द्वारा किए गए छोटे–मोटे तथा गंभीर अपराध और 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा किए गए जघन्य अपराध के लिए फ्लो–चार्ट (धारा 13,14,17,18 और नियम 9,10 और 11)

- किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रथम प्रस्तुति के चार माह के भीतर जांच पूरी करना। जांच की समयावधि केवल दो माह तक बढ़ाई जा सकती है –धारा 14 (2)
- धारा 15 के तहत जघन्य अपराध के मामले में बच्चे को बोर्ड के समक्ष पहली बार प्रस्तुत किए जाने के तीन माह के भीतर एक आरंभिक आंकलन पूर्ण कर लिया जाना चाहिए –धारा 14 (3)
- अगर छोटे–मोटे अपराध की जांच बढ़ाए हुए समय में भी पूरी नहीं होती तो कार्यवाही को निरस्त मान लिया जाएगा। गंभीर या जघन्य अपराध की जांच के लिए समयावधि बढ़ाने की अनुमति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट से ली जानी चाहिए –धारा 14 (4)
- छोटे–मोटे अपराध में संक्षिप्त कार्यवाही का पालन किया जाएगा और गंभीर या जघन्य अपराध के मामले (धारा 14 (5) (डी) (ई) (एफ) में सम्मन केस की तरह जांच की कार्यवाही चलेगी –(धारा 14(5)(डी), (ई) एवं (एफ))
- किशोर न्याय बोर्ड परिवीक्षा अधिकारी से सामाजिक जांच रिपोर्ट लेता है –धारा 13(1)
- अगर बोर्ड को लगे कि उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया बच्चा देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद है तो वह बच्चे को बाल कल्याण समिति को समर्पित कर सकता है –धारा 17 (2)
- जब किशोर न्याय बोर्ड आश्वस्त है कि उसके समक्ष लाए गए बच्चे ने कोई अपराध नहीं किया है तो इसके लिए वह प्रभावी आदेश पारित कर सकता है –धारा 17 (1)
- जब किशोर न्याय बोर्ड जांच के बाद आश्वस्त है कि बच्चे की उम्र भले ही कितनी भी हो उसने छोटा–मोटा/गंभीर जघन्य अपराध किया है तो उसे
- वह आदेश पारित कर सकता है–धारा 18 (1)
- अधिकतम 3 वर्ष की समयावधि के पुनर्वास के लिए आदेश –धारा 18(1) (जी)
- परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा तैयार किए गए बच्चे के व्यक्तिगत देखरेख योजना को शामिल करना –नियम 11 (3)